वित्तीय स्वीकृति

संख्या-22/564/52-3-14-बजट(01)/2014

प्रेषक,

देवेश चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभा□-3, □□□□: दिनांक 10 अप्रैल, 2014

विषयः-वित्तीय वर्ष 2014-15 में रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद के कार्यालय हेतु वित्तीय स्वीकृति। (आयोजनेत्तर)

□□□□,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (□□-व्ययक) □□□□□-1 के कार्यालय ज्ञाप संख -□□-1-795/□□-2014-231/2014 दिनांक 14 मार्च, 2014 के प्रस्तर-2(1) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मासिक वेतनादि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में रजिस्ट्रार, मदरसा शिक्षा परिषद के कार्यालय(अधिस्ठान) के विभिन्न मदों में व्यय के लिए निम्नांकित विवरण के अनुसार आय-व्ययक में कुल प्रस्तावित धनराशि रू0 72.90 □□ □□ सापेक्ष पारित 04 माह का लेखानुदान रू0 24.30 □□ (रू चैबिस लाख तीस हजार मात्र) निम्न प्रकार स्तम्भ-5 के अनुरूप स्वीकृत करते हुये निम्नांकि शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं-

http://shasanadesh.up.nic.in

(धनराशि हज़ार रू0 में)

क्रम □0	□□ □□ □□□	वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित □ □- व्ययक प्राविधान	आय व्ययक प्राविधान के सापेक्ष पारित 04 □□□ □□ □□□□□□	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित □□□□□
1	2	3	4	5
1	01 □□□	2445	815	815
2	02 मजदूरी	10	3	3
3	03 मंहगाई भत्ता	2567	856	856
4	04 यात्रा व्यय	50	17	17
5	06 अन्य भत्ते	245	82	82
6	07 □□□□	545	182	182
7	08 कार्यालय व्यय	50	17	17
8	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	25	8	8
9	12 कार्यालय फर्नीचर □□□□□□□	100	33	33
10	13 टेलीफोन पर व्यय	23	8	8
11	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50	17	17
12	16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये □□□□	400	133	133
13	17 किराया, उप शुल्क □□ □□-स्वामित्व	600	200	200
14	18 प्रकाशन	50	16	16

http://shasanadesh.up.nic.in

15	42 अन्य व्यय	50	16	16
16	45 अवकाश यात्रा व्यय	10	3	3
17	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	50	17	17
18	49 चिकित्सा व्यय	20	7	7
	□i□	7290	2430	2430

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किय जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया □i□□ii

(2) वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्यता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण शासन को मई, 2014 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) □□□ii□ □i □ □i□□ (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक □i, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली □i□□

2- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखानुदान एवं तदसंबंधी विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से पूरित हो तथा पश्चातवर्ती अवधि के लिए आवश्यक धन व्यवस्था वर्ष 2014-15 के मूल आय व्ययक एवं तदसंबंधी विनियोग अधिनियम द्वारा उपलब्ध हो जाय।

http://chhalidesh.up.nic.in

3- लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2014 के लिए दिनांक 5-3-2014 से आदर्श चुनाव आचार सहिंता लागू है। अतः धनराशि के व्यय हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार सहिंता में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-001-□□□□□ □□□ प्रशासन-06 रजिस्ट्रार/निरीक्षक अरबी फारसी मदरसा उ0प्र0, इलाहाबाद की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5- यहा आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-795/□□-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव

<u>संख्या-564(1)/52-3-14 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-□□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2-□□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, □□□□□□□□

3-कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□□, □0प्र0 □□□□□

4-रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद,704, □□□□□ □□□, □□□□□

5-वित्त (ई-11) □□□□□/वित्त (आ□-व्ययक) □□□□□-0(02 प्रतियों में)/नि□□□ □□□□□-3 □□□□□ □□□□□/गार्ड फाईल।

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(रकेश कुमार मिश्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

संयुक्त □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in